

निग./२११/II/१५ ३८७

न्यायालय : मानवीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्रामियर सर्किट कोटे रीवा
मोपूर।

निगरानी पुँक्ष/

/०१५

(491)



राजभान तनय रामपाल ब्रा० निवासी ग्राम पट्टा तहसील रामपुर नैकिन

जिला सीधी, मोपूर।

----- आवेदक

बनाय

रामभुजन तनय रामपाल ब्रा० निवासी ग्राम पट्टा तह0रामपुर नैकिन जिला
सीधी, मोपूर।

----- अनावेदक

लक्ष्मीलालापण मिथ्या रु
29.7.15 के
मुक्त कोटे रीवा

निगरानी विलङ्घ आदेश अपरक्लेक्टर जिला सीधी

दिनांक ३०.०६.०१५ जो निगरानी पुँक्ष/ ४७२/

निग./२११-१२ मे पारित किया गया।

गान्धीर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

१०१। यह कि निर्णय व आदेश अमर क्लेक्टर सीधी विधि स्वै पुण्यियाके
विपरीत होने से निरस्त किएजाने योग्य है।

१०२। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक की निगरानी निरस्त करने
तथा तहसीलदार तह0रामपुर नैकिन द्वारा पारित आदेश दिनांक ३०.०६.०१५
को कायम रखने मे एक महान् कानूनी भूल की है।

१०३। यह कि अधीनस्थ न्यायालयने इत घातपर कतई गौर नहीं किया
कि आवेदक स्वै अना० आपस मे जगे भाई भाई है, जिनके मध्य हुए पंजीकृत

M

S


निरंतर... २पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-2951-II/15

जिला-सीधी

राजभान/रामभुवन ब्रा०

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सर्वेन्द्र कुमार पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 472/निग0/2011-012 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">M</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p>	